

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06 / अ0-03-20 / 2015

पटना, दिनांक—

श्रीमती रेणु कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-17.01.2025 से 16.04.2025 तक कुल 90 (नब्बे) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती कुमारी के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (276-90=186) (एक सौ छियासी) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / -

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06 / अ0-03-20 / 2015

551

पटना, दिनांक- 30/04/25

प्रतिलिपि:-वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिका सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिका एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिका वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना। श्रीमती रेणु कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/ 30/04/25
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।